# न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी:–पीयूष समारिया, I.A.S.

प्रकरण संख्या –66 / 2022 (अपील)

GCMS No.- 2022/217

1. भंवरलाल आत्मज स्व0 नाथूलाल उर्फ नाथू जी जाति मीणा निवासी ग्राम कंवरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
2. श्रीमती धनकंवर बाई पत्नी स्व0 श्री महावीर जाति मीणा निवासी ग्राम कंवरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
3. पवन आत्मज स्व0 श्री महावीर मीणा जाति मीणा निवासी ग्राम कंवरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा नाबालिग जरिये बलिवायत माता स्वयं अपीलान्ट नं0 2 श्रीमती धनकंवर बाई पत्नी स्व0 श्री महावीर जी जाति मीणा निवासी ग्राम कंवरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा

—अपीलाण्ट.

बनाम

1. महेन्द्रपाल मीणा आत्मज श्री रामस्वरूप जाति मीणा निवासी मकान नं0 261 वीरसावरकर नगर कोटा
2. श्रीमती मोहनी बाई पुत्री स्व0 श्री नाथूजी पत्नी मोतीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम कादी हेड़ा पोस्ट जाखोड़ा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
3. दी स्टेट ऑफ राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा राज0

—रेस्पोडेन्ट.

**अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध इन्तकाल नं0 234 दिनांक 24.05.2022**

उपस्थित:—

1. श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री ललित नागर, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट नं0 1

## *निर्णय*

दिनांक—21.01.2026

1. अपील का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम कंवरपुरा स्थित खाता संख्या 30 की आराजी किता 15 की रकबा 4.07 हे0 में से 1/7 हिस्सा खातेदार मोहनी बाई पुत्री नाथू जाति मीणा के खातेदारी में दर्ज थी । खातेदार मोहनी बाई ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के अपना सम्पूर्ण हिस्सा महेन्द्रपाल मीणा को बेचान करने से विक्रय पत्र के आधार पर तहसीलदार लाडपुरा द्वारा नामान्तरकरण संख्या 234 दिनांक 24.5.2022 को दर्ज किया जाकर 25.5.2022 को स्वीकृत किया गया ।

2. उपरोक्त नामान्तकरण सं0 234 दिनांक 24.05.2022 की अप्रसन्नता में यह अपील अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दिनांक 29.06.2022 को लिमिटेशन की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गई है कि तहसीलदार लाडपुरा ने ग्राम कंवरपुरा तहसील लाडपुरा की 15 किता की 4.0700 हे0 भूमि रेस्पोडेन्ट नं0 2 मोहनी बाई द्वारा निष्पादित पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 2.5.2022 के आधार पर रेस्पो0 नं0 2 के 1/7 हिस्से की भूमि रेस्पो0 नं0 1 महेन्द्रपाल मीणा के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 234 दिनांक 24.5.2022 तस्दीक फरमाने में त्रुटि की है । क्योंकि अपीलान्ट नं0 1 के पिता व अपीलांट नं0 2 के ससुर श्री नाथूलाल जी के खाते एवं कब्जे में ग्राम कंवरपुरा के विभिन्न खसरा नम्बरान किता 15 की 4.0700 हे0 भूमि स्थित थी, खातेदार नाथू मीणा की दिनांक 5.3.2006 को मृत्यु हो गयी थी । खातेदार श्री नाथू जाति से मीणा थे एक अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति थे, तथा

जन जाति के व्यक्तियों के सम्बन्ध में ओल्ड हिन्दू लॉ के प्रावधान लागू हाते है । हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू नहीं होते है । तथा मीणा जाति के व्यक्ति की मृत्यु होने पर पुत्र की मौजूदगी में पुत्री को हक विरासत एवं उत्तराधिकारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है । इसके बावजूद अपील नं0 1 के पिता व महावीर मृतक के पिता की मृत्यु के पश्चात ग्राम पंचायत धाकड खेडी में खातेदार नाथूजी मीणा का फोती नामा0 सं0 94 में अपीलांट नं01 महावीर, अमरलाल एवं विधवा पत्नी केसरबाई के साथ साथ नाथूजी मीणा की पुत्रियां श्रीमती मोहनी बाई, श्रीमती फूंला बाई एवं श्रीमती सोहनी बाई के पक्ष में सम्भाग से तस्दीक फरमाने में त्रुटि की है । इसके बाद रेस्पो0 नं0 2 मोहनी बाई द्वारा अवैधरूप से दर्ज हुये 1/7 हिस्से की भूमि का रेस्पो0 नं0 1 के पक्ष में निष्पादित किया गया, पंजीकृत विक्रय पत्र सर्वथा अवैध, प्रभावशून्य, एवं विधि विरूद्व है जिसे निरस्त कराने की पृथक एवं अवैध एवं प्रभावशून्य घोषित कराने की कानूनन आवश्यकता नहीं है । अतः तथाकथित विक्रय पत्र के आधार पर तस्दीक किया गया नामान्तरकरण संख्या 234 दिनांक 24.5.2022 ग्राम कंवरपुरा प्रभावशून्य होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी हेतु रजिस्टर्ड डाक से सम्मन जारी किये गये । रेस्पोडेन्ट नम्बर नं0 1 की ओर से अभिभाषक श्री ललित नागर का वकालतनामा पेश हुआ, रेस्पो0 नं0 2 की ओर से अभिभाषक श्री ललित नागर द्वारा अण्डरटेकिंग दी गई किन्तु वकालतनामा पेश नहीं हुआ । रेस्पे0 नं0 2 की अनुपस्थिति दर्ज की गई । वकील अपीलांट एवं वकील रेस्पोडेन्ट नं0 1 उपस्थित । उभयपक्ष की बहस सुनी ।

4. वकील अपीलान्ट ने अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही अपनी बहस में दौहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टान को सूचना दिये बिना ही सुनवायी का अवसर प्रदान किये बिना ही सर्वथा गैर कानूनी एवं अनाधिकृत रूप से नामान्तरकरण संख्या 234 दिनांक 24.5.2022 को विधि विरूद्व तस्दीक फरमाने में त्रुटि की है । तहसीलदार लाडपुरा ने ग्राम कंवरपुरा तहसील लाडपुरा की 15 किता की 4.0700 हे0 भूमि रेस्पोडेन्ट नं0 2 मोहनी बाई द्वारा निष्पादित पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 2.5.2022 के आधार पर रेस्पो0 नं0 2 के 1/7 हिस्से की भूमि रेस्पो0 नं0 1 महेन्द्रपाल मीणा के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 234 दिनांक 24.5.2022 तस्दीक फरमाने में त्रुटि की है । क्योंकि अपीलान्ट नं0 1 के पिता व अपीलांट नं0 2 के ससुर श्री नाथूलाल जी के खाते एवं कब्जे में ग्राम कंवरपुरा के विभिन्न खसरा नम्बरान किता 15 की 4.0700 हे0 भूमि स्थित थी, खातेदार नाथू मीणा की दिनांक 5.3.2006 को मृत्यु हो गयी थी । खातेदार श्री नाथू जाति से मीणा थे एक अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति थे, तथा जन जाति के व्यक्तियों के सम्बन्ध में ओल्ड हिन्दू लॉ के प्रावधान लागू हाते है । हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू नहीं होते है । तथा मीणा जाति के व्यक्ति की मृत्यु होने पर पुत्र की मौजूदगी में पुत्री को हक विरासत एवं उत्तराधिकारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है । इसके बावजूद अपीलांट नं0 1 के पिता व महावीर मृतक के पिता की मृत्यु के पश्चात ग्राम पंचायत धाकड खेडी में खातेदार नाथूजी मीणा का फोती नामा0 सं0 94 मेंअपीलांट नं01 महावीर,अमरलाल एवं विधवा पत्नी केसरबाई के साथ साथ नाथूजी मीणा की पुत्रियां श्रीमती मोहनी बाई, श्रीमती फूंला बाई एवं श्रीमती सोनी बाई के पक्ष में सम्भाग से तस्दीक फरमाने में त्रुटि की है । खातेदार श्री नाथूजी मीणा की पुत्रियां श्रीमति मोहनी बाई, श्रीमती फूला बाई एवं श्रीमती सोहनी बाई के पक्ष में अवैध एवं गलत रूप से तस्दीक किये गये फोती नामान्तरकरण सं0 94 ग्राम कंवरपुरा से एवं उसके आधार पर जमाबंदी में किये गये अवैध इन्द्राजात के आधार पर स्व0 नाथूजी की पुत्रियों का कोई हक एवं अधिकार प्राप्त नहीं होते है तथा कानूनन वे उपरोक्त भूमि की खातेदार टीनेन्ट नहीं है । तथा पुत्रियों को तथाकथित हिस्से की भूमि को अन्तरित करने, बेचान करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है । विकेता रेस्पो0 नं0 2 मोहनी बाई द्वारा अवैधरूप से दर्ज हुये 1/7 हिस्से की भूमि का रेस्पो0 नं0 1 के पक्ष में निष्पादित किया गया पंजीकृत विक्रय पत्र सर्वथा अवैध,प्रभावशून्य अकृत एवं विधि विरूद्व है जिसे निरस्त कराने एवं अवैध एवं प्रभावशून्य घोषित कराने की कानूनन आवश्यकता नहीं है । तथा कथित

पंजीकृत विक्रय पत्र एवं उसके आधार पर तस्दीक किये गये नामान्तरकरण से रेस्पो0 नं0 1 को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है । रेस्पो0 नं0 1 का अपील विषयक आराजीयात पर कब्जा नहीं है । रेस्पो0 नं0 2 विक्रता को उपरोक्त आराजीयात की वैध खातेदार टीनेन्ट नहीं थी तथा उपरोक्त आराजी को विक्रय करने का अधिकार नही था । नामान्तरकरण जेर अपील की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने की दिनांक 15.6.2022 से दिनांक 24.6.2022 तक के दिन मुजरा करने अपील अवधि मध्य प्रस्तुत है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 234 दिनांक 24.5.2022 निरस्त फरमाया जावें । वकील अपीलांट ने अपील के समर्थन में निम्न न्यायिक निर्णय प्रस्तुत किये –

- 2024 RBJ 113 प्रस्तुत की है जिसमें प्रतिपादित सिद्वान्त अनुसार ''भूमि के नामान्तरकरण से न तो भूमि पर अधिकार प्राप्त होते है न ही खत्म होते है न ही स्वात्वाधिकार के बारे में अधिकार प्राप्त होते है वे इससे सिर्फ उस व्यक्ति की जिसके नाम नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है वह भूमि का लैण्ड रेवेन्यू अदा कर सकता है''
- 2019 2019 DNJ(sc)427 प्रस्तुत की है जिसमें प्रतिपादित सिद्वांत अनुसार "Revenue entries for few khataunis are not proof of title, but are mere ststements for renenue purpose."
- RRD 1993 smt Para V/s smt.Ganga &ors में प्रतिपादित सिद्वान्त अनुसार ''Rajasthan Land Revenue Act, section 135- Mutation is a fiscal proceeding which does not determine the rights of the parties- party which did not in herit any right in the estate had been mutated its name."

5. वकील रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या234 दिनांक 24.5.2022 स्वीकृत दिनांक 25.5.2002 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर स्वीकृत किया गया है । खातेदार मोहनी बाई द्वारा खाता संख्या 30 की आराजी किता–15 में अपना हिस्सा 1/7 का विक्रय महेन्द्रपाल सिंह मीणा के पक्ष में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के किया जाने से तहसीलदार लाडपुरा द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत किया है, जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है । जब तक विक्रय पत्र प्रभावी है तब तक अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त नहीं किया जा सकता है । विक्रय पत्र दिनांक 2.5.2022 को निरस्त कराने हेतु अपीलांट की ओर से न्यायालय जिला न्यायाधीश कोटा के यहां वाद बउनवान भंवरलाल बनाम फूला बाई के नाम से प्रस्तुत किया गया है जो लम्बित चला आ रहा है । इस प्रकार विकग्र पत्र के सम्बन्ध में निर्णय सक्षम सिविल न्यायालय से होना है, परंतु अपीलांट ने उक्त वाद के तथ्य को माननीय न्यायालय से छुपाते हुए यह अपील प्रस्तुत की है । इस प्रकार विक्रय पत्र दिनांक 2.5.2022 को निरस्त कराने के सम्बन्ध में सक्षम सिविल न्यायालय में वाद विचाराधीन है, तथा जब तक विक्रय पत्र निरस्त नहीं हो जाता तब तक अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त नहीं किया जा सकता है । अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें । वकील रेस्पोडेन्ट ने अपने कथनों की पुष्टि में न्यायिक निर्णय **RRT2021(2) 952** में प्रतिपादित सिद्वान्त अनुसार " राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 –धारा 135 रेस्पोडेन्ट सं0 2 से 7 के पक्ष में स्वीकृत नामान्तरकरण को रस्पोडेन्ट सं0 1 ने चुनौती दी–वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत करने के आदेश में अवैधता नहीं– अपीलान्ट्स सद्भावी केता है और विक्रय विलेख रद्द कराये बिना रेस्पोडेन्ट सं0 1 को अधिकार व हक प्राप्त नहीं होते– नामान्तरकरण कार्यवाही में वसीयत की वैधता को चुनौती नहीं दी जा सकती–निर्णित, आलोच्य आदेश अपास्त किया व तहसीलदार का आदेश बहाल किया ।''

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलांट द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 234 दिनांक 24.5.2022 के विरूद्व दिनांक 29.06.2022 को प्रस्तुत की है । मियाद के सम्बन्ध में यह तथ्य प्रकट हुए है कि अपील की प्रमाणित प्रति दिनांक 24.6.2022 को प्राप्त हुई है, नकल प्राप्ति दिनांक से अपील अन्दर मियाद है । प्रस्तुत अपील में अपीलांट का तर्क है कि नाथू जी उर्फ श्री नाथूलाल जी के खाते की भूमि ग्राम कंवरपुरा के खसरा नम्बरान की 15 किता की 4.0700 हे0 भूमि स्थित है । नाथू जी की मृत्यु दिनांक 5.3. 2006 को हो चुकी है तथा खातेदार नाथूजी जाति से मीणा होकर अनुसूचित जन जाति के होने से अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के सम्बन्ध में उत्तराधिकार बावत ओल्ड हिन्दू लॉ के प्रावधान लागू होना तथा ओल्ड हिन्दू लॉ के प्रावधानों के अनुसार मीणा जाति के व्यक्ति खातेदार की मृत्यु के पश्चात पुत्रियां को हक विरासत प्राप्त नहीं होने का तथ्य अंकित किया है इसके लिए वकील अपीलांट द्वारा विभिन्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये है । नामान्तरकरण की कार्यवाही के सम्बन्ध में वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक निर्णय 2024 RBJ 113, 2019 2019 DNJ(sc)427, RRD 1993 smt Para V/s smt.Ganga &ors से हम सहमत है कि नामान्तरकरण एक फिस्कल प्रोसिडिंग है, भूमि के नामान्तरकरण से न तो भूमि पर अधिकार प्राप्त होते है न ही खत्म होते है किन्तु यहां यह उल्लेखनीय है कि यह अपील नामान्तरकरण संख्या 234 की प्रस्तुत हुई है जो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर स्वीकृत हुआ है । इस अपील में यह बिन्दु विचारणीय नहीं है कि पुत्रीयों के नाम विरासत का इन्तकाल उचित है अथवा नहीं यहां यह विचारणीय है कि जिस नामान्तरकरण की अपील प्रस्तुत हुई है वह रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर स्वीकृत है तथा विक्रय पत्र को निरस्त कराने के लिए अपीलांट ने सक्षम सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया हुआ है ऐसी स्थिति में विक्रय पत्र के प्रभाव में रहते हुए अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त करना विधि अनुरूप नहीं है । इस सम्बन्ध में वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा न्यायिक निर्णय **RRT2021(2) 952** में प्रतिपादित सिद्वान्त अनुसार "राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 –धारा 135 रेस्पोडेन्ट सं0 2 से 7 के पक्ष में स्वीकृत नामान्तरकरण को रस्पोडेन्ट सं0 1 ने चुनौती दी–वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत करने के आदेश में अवैधता नहीं– अपीलान्ट्स सद्भावी केता है और विक्रय विलेख रद्द कराये बिना रेस्पोडेन्ट सं0 1 को अधिकार व हक प्राप्त नहीं होते– नामान्तरकरण कार्यवाही में वसीयत की वैधता को चुनौती नहीं दी जा सकती–निर्णित, आलोच्य आदेश अपास्त किया व तहसीलदार का आदेश बहाल किया ।" **RRT2021(2) 952** में प्रतिपादित सिद्वान्त से हम सहमत है । इस प्रकरण में भी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत हुआ है, जिसे हम निरस्त करना उचित नहीं पाते है ।

7. उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलाधीन नामान्तरकरण रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर स्वीकृत हुआ है, तथा विक्रय पत्र वर्तमान में प्रभावी है, विक्रय पत्र के प्रभावी रहते हुए अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त करना उचित नहीं पाते है । अतः अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है । अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 234 दिनांक 24.5.20222 में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होने से यथावत रखा जाता है ।

8. निर्णय आज दिनांक 21 .01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पीयूष समारिया)
जिला कलक्टर, कोटा
जिला कलक्टर
कोटा